-प्रेस नोट-

जनपद-मीरजापुर

दिनांक- 30-10-2021

मीरजापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज हत्या के आरोपी पति , देवर व ससुर को मा0न्यायालय द्वारा 07 वर्ष के कारावास एवं ₹18,000.00/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई—

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन मीरजापुर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में थाना जिगना पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज हत्या के आरोपी पति ,देवर व ससुर को मा0न्यायालय द्वारा 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹18000.00/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 27.11.2015 को थाना जिगना पर जनपद प्रयागराज के मेजा थाना अन्तर्गत निवासी एक व्यक्ति की तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध, दहेज हत्या के संबंध में मु0अ0सं0-585/2015 धारा 498ए,304बी भा0द0वि0 व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए वाछिंत अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 23.12.2015 को मा0न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा थाना जिगना पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त गंभीर अपराध कारित करने वाले आरोपी पति, देवर व ससुर को आज दिनांक 30.10.2021 को मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0 द्वितीय मीरजापुर द्वारा प्रत्येक को 07 वर्ष के कारावास एवं ₹ 6000.00/-(कुल ₹ 18,000.00/-) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई , अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सजायाफ्ता अभियुक्त —

1-शिवमंगला उर्फ सुमंगला(देवर) पुत्र बसन्तलाल गुप्ता निवासिनी बरबटा कुशहां थाना जिगना मीरजापुर।

2-मंगला प्रसाद गुप्ता(पति) पुत्र बसन्तलाल गुप्ता निवासी बरबटा कुशहां थाना जिगना मीरजापुर।

3-बसन्तलाल गुप्ता(ससुर) पुत्र बाउल गुप्ता निवासी बरबटा कुशहां थाना जिगना मीरजापुर।